

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

अभिषेक रंजन, भा०प्र०से०
निदेशक मत्स्य।

सेवा में,

संयुक्त मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 29/5/2025

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में सात निश्चय-2 के तहत ₹520.00 लाख (पाँच करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र की लागत पर विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण योजना हेतु आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6एस0एस0(6)21/2025-1990 दिनांक-07.05.2025 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹520.00 लाख (पाँच करोड़ बीस लाख रुपये) मात्र के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल ₹171.60 लाख (एक करोड़ इकहतर लाख साठ हजार रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117 विषय शीर्ष-0117.31.05-सहायक अनुदान परिसम्पतियों का निर्माण मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनु०-विवरणी-1 में पृष्ठ-1

विश्वासभाजन
29/5/25
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202513...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202513...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202513...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202513...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : विवरणी-1 की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक मत्स्य,

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202513...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 29/5/2025

प्रतिलिपि : आईटी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।

निदेशक मत्स्य

अनुलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र, बराटपुर, औरंगाबाद का घेराबंदी तथा मत्स्य प्रसार-सह-जागरुकता केन्द्र का निर्माण की योजना हेतु आवंटन।

(राशि लाख में)

क्र०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117, विषय शीर्ष 0117.31.05- सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण			अभ्युक्ति
		व्यय हेतु स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (33 प्रतिशत)	आवंटन हेतु शेष राशि	
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक मत्स्य	520.00	171.60	348.40	योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय किया जाएगा।

₹171.60 लाख (कुल एक करोड़ इकहतर लाख साठ हजार ₹0) मात्र।

h.d.

28/01/25
निदेशक मत्स्य